फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

दिनांक 08./.03./2016

पत्रांक : सम्बद्धता/2016/.266...

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 राम रहस्य महाविद्यालय, सिंहपुर, तरैया, चौरीचौरा, गोरखपुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्री अजीत कुमार चौबे	श्री दीना नाथ चौबे	01.08.1983	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षाएं)
2	श्री विशाल कुमार	श्री अमला प्रसाद	03.07.1987	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कला)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. क्रम संख्या 1 एवं 2 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

दूरभाष : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/...2652 दिनांक 02/06/2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 राम रहस्य महाविद्यालय, सिंहपुर, चौरीचौरा,
गोरखपुर।

विषय– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 31.05.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्री अजय तिवारी	श्री राघव तिवारी	17-01-1987	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
2	श्री शैलेश कुमार त्रिपाठी	श्री सुवाष चन्द्र त्रिपाठी	10-11-1984	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
3	सुश्री देवता पाण्डेय	श्री भोला पाण्डेय	05-12-1978	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
4	श्रीमती निशा पाण्डेय	श्री शत्रुघ्न पाण्डेय	15-07-1991	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
5	श्री उमेश कुमार यादव	श्री सदानन्द यादव	02-07-1988	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
6	वर्षा श्रीवास्तव	श्री देवेश प्रसाद	03-11-1990	प्रवक्ता, बी0एड0 (संगीत)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
3. क्रम संख्या 1 एवं 2 पर चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

02/06/17

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2014 / 201 दिनांक 3 / 3 / 2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 राम रहस्य महाविद्यालय
सिंहपुर, हरैया, चौरीचौरा, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनाक शून्य के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध मे उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण / भ्रामक / असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष / प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातक : शिक्षा संकाय		
1	डॉ0 राकेश चन्द्र दूबे	विभागाध्यक्ष, बी0एड0
2	श्री राम धीरज यादव	प्रवक्ता, बी0एड0
3	श्री राजेश कुमार यादव	प्रवक्ता, बी0एड0
4	श्री संजय कुमार यादव	प्रवक्ता, बी0एड0
5	श्री ध्रुवचन्द	प्रवक्ता, बी0एड0
6	श्री बृज किशोर यादव	प्रवक्ता, बी0एड0
7	श्री मृत्युन्जय कुमार मिश्र	प्रवक्ता, बी0एड0
8	श्री आनन्द कुमार सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0

नोट:– उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाण पत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर नेट प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य / प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

03/03/2014